N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0103 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 29/05/2024 16:17 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(1)(b)
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(2)
3	भा दं सं 1860	120-B

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 18/05/2024 **Date To (दिनांक तक):** 19/05/2024
   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 12:30 बजे **Time To (समय तक):** 16:00 बजे
   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 29/05/2024 **Time (समय):** 16:00 बजे
   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 29/05/2024 16:17:51 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** WEST, 10 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE
   (b)**Address(पता):** JAIPUR AGRA N-H-21, LUDHAWAI TOLL PLAZA NEAR, BHARTPUR
   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**
   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** AMIT SINGH

(b) **Father's/Mother's/Husband's Name (पिता / माता / पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 13/01/1989 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	VILLAGE/POST-DHORMUI, BHARATPUR, UDHYOG NAGAR(BHARATPUR), BHARATPUR, RAJASTHAN, 321025,
2	स्थायी पता	VILLAGE/POST-DHORMUI, BHARATPUR, UDHYOG NAGAR(BHARATPUR), BHARATPUR, RAJASTHAN, 321025,

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-9079818559

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	MANOJ KUMAR SINGHAL		पिता:TOTA RAM SINGHAL	1. 1406,SHUBHAS NAGAR,BHARTPUR,BHARATPUR,RAJASTHAN,INDIA
2	OM PRAKASH		पिता:MULI RAM	1. NAGLA KAROLI,KUMHER,BHARTPUR,BHARATPUR,RAJASTHAN,INDIA
3	DAU DYAL		पिता:KARAN SINGH	1. KAASOT,DEEG,SADAR DEEG,डीग,RAJASTHAN,INDIA
4	YADUVEER SINGH		पिता:MAHENDRA SINGH	1. NAGLA KESRIYA,BHARTPUR,BHARATPUR,RAJASTHAN,INDIA
5	KUMARPAL		पिता:RAMESH CHAND	1. UWAAR,DEEG,KUMHER,डीग,RAJASTHAN,INDIA

6	KUWAR SINGH		पिता:DUNGER SINGH	1. KANAWAR,BHARTPUR,BAYANA,BHARATPUR,RAJASTHAN,IN
7	RAKESH KUMAR		पिता:KALYAN SINGH	1. SHASTRI NAGAR,BHARTPUR,BHARATPUR,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		75,550.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-) (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):** 75,550.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):**

वाक्यात मामला हाजा इस प्रकार है कि दिनांक 18.05.2024 को समय करीब दोपहर बाद जरिये सूत्र सूचना मिली कि लुधावई टोल प्लाजा पर परिवहन विभाग के उडन दस्ता के द्वारा आने जाने वाले ट्रक व वाहनों से अवैध वसूली की जा रही है उक्त सूचना पर दिनांक 18.05.2024 को श्री रीतराम सिंह सहायक उप निरीक्षक एसीबी एस.यू. भरतपुर को उडन दस्ते की निगरानी हेतू मामूर किया गया। इसके बाद दिनांक 19.05.2024 को सुबह श्री रीतराम सिंह सहायक उप निरीक्षक द्वारा उडन दस्ते द्वारा की जा रही अवैध वसूली के संबंध में निगरानी व विडियो ग्राफी की गई। इसके बाद समय करीब 07.45 एएम पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक अमित सिंह भी गोपनीय निगरानी हेतु मौके पर पहुंचा। परिवहन विभाग के उडन दस्ते के सदस्यों द्वारा अभी भी अवैध वसूली की जा रही है। रोड की साईड में परिवहन विभाग का सरकारी वाहन आर0जे0 05 यूबी 2164 खडा हुआ है जिसपर आगे आरटीओ लिखा हुआ है एवं मल्टी कलर की बत्ती लगी हुई है। गाडी में आगे की सीट पर वर्दी में स्टार लगाये हुए एक व्यक्ति बैठा हुआ है। एवं गार्डो द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर आने जाने वाले वाहनों के चालक व परिचालकों से राशि लेकर वाहनों को निकलने दिया जा रहा था एवं प्रत्येक गार्ड बार-बार सरकारी गाडी के पास आकर गाडी में बैठे हुए अधिकारी को कुछ देकर व वार्तालाप करके जा रहे थे। उक्त अवैध वसूली की सूचना की पुष्टि होने पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री दिलीप सिंह कानि0 610 को निर्देशित किया गया कि पूर्व से कार्यालय में उपस्थित स्वतंत्र गवाहान श्री सुनील कुमार व नरेश कुमार पशुधन सहायक व उपस्थित जाप्ता को प्राईवेट वाहनों से हमराह लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित लुधावई टोल प्लाजा के पास पहुंचे। इसके बाद समय करीब 08.30 एएम पर श्री दिलीप सिंह मय स्वतंत्र गवाहान व श्री परसराम कानि0 203 के अपनी प्राईवेट गाडी से एवं श्री रवि कुमार हैड कानि0 52 मय श्री विनोद सिंह कानि0 114, सुशील कुमार कानि0 557, श्री सुरेश कुमार कानि0 185, श्री देवेन्द्र सिंह कानि0 221 प्राईवेट गाडी से तथा श्री अवधेष कुमार हैड कानि0 68 मय श्री राजेन्द्र सिंह कानि0 106, यशपाल कानि0 473, गोकुलेश कानि0 454, श्री रितेश कुमार 64 के मय प्राईवेट वाहन के पहुचे। जहां उपस्थित स्वतंत्र गवाहान व जाप्ते को आवश्यक दिशा निर्देश देकर हालातों से अवगत करवाकर समय करीब 08.40 एएम पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान श्री दिलीप सिंह कानि0 मय स्वतंत्र गवाहान एवं श्री रीतराम सहायक उप निरीक्षक, श्री विनोद सिंह कानि0 के परिवहन विभाग के सरकारी वाहन के पास पहुंचा व शेष जाप्ता को राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनो को रोककर अवैध वसूली कर रहे गार्डों को डिटेन करने हेतु भेजा गया। तत्पश्चात परिवहन विभाग की सरकारी गाडी बोलोरो नियो रजिस्टे्शन नं0 आरजे 05 यूबी 2164 है जिसके सभी शीशे चढे हुए है एवं खिडकियॉ बन्द है गाडी की आगे की सीट पर वर्दी में स्टार लगाये हुए बैठे हुए है जिसकी तरफ की खिडकी का शीशा खुला है आगे की सीट पर वर्दी में स्टार लगाये हुए बैठे हुए व्यक्ति को अपना व हमराहीयान का परिचय देकर उनका नाम पता पूछा तो उन्होने अपना नाम मनोज कुमार सिंघल पुत्र श्री तोताराम सिंघल जाति वैश्य उम्र

38 साल निवासी सुभाष नगर भरतपुर पुलिस थाना कोतवाली भरतपुर हाल परिवहन निरीक्षक कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी भरतपुर होना बताया। गाडी में एवं श्री मनोज कुमार सिंघल के पास अवैध राशि होने की संभावना को देखते हुए श्री मनोज सिंघल की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री सुनील कुमार पशुधन सहायक से लिवायी गई तो कोई राशि व संदिग्ध वस्तु नही मिली । शेष जाप्ता द्वारा 5 गार्डों को मन् अति. पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश किया जिनका नाम पता पूछा तो पहले गार्ड ने अपना नाम ओमप्रकाश पुत्र श्री मूलीराम जाति जाट उम्र-57 साल निवासी नगला कारौली पुलिस थाना कुम्हेर मो. नं.-8233307750 हाल संविदा सुरक्षाकर्मी परिवहन विभाग भरतपुर होना बताया जिसकी जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री सुनील कुमार पशुधन सहायक से लिवाई गई तो 140 रूपये नकद मिलना पाये गये तत्पश्चात दूसरे गार्ड से उसका नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम दाऊदयाल पुत्र श्री करणसिंह जाति जाट उम्र-63 साल निवासी कासौट पुलिस थाना डीग सदर मो. नं.-8058738196 हाल संविदा सुरक्षाकर्मी परिवहन विभाग भरतपुर होना बताया जिसकी जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री सुनील कुमार पशुधन सहायक से लिवाई गई तो जामा तलाशी में 600 रूपये नगद मिले इसके बाद तीसरे गार्ड से उसका नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम यदुवीर सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जाट उम्र-38 साल नगला केसरिया पुलिस थाना चिकसाना मो. नं.-8169142933 हाल संविदा सुरक्षाकर्मी परिवहन विभाग भरतपुर होना बताया जिसकी जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री सुनील कुमार पशुधन सहायक से लिवाई गई तो जामा तलाशी में कोई राशि या संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। इसके बाद चौथे गार्ड का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम कुमरपाल पुत्र श्री रमेश चन्द जाति जाट उम्र-44 साल निवासी उवार पुलिस थाना कुम्हेर जिला डीग मों नं.-9760035558 हाल संविदा सुरक्षाकर्मी परिवहन विभाग भरतपुर होना बताया होना बताया। जिसकी जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री सुनील कुमार पशुधन सहायक से लिवाई गई तो जामा तलाशी में 800 रूपये नगद मिले। इसके बाद पॉचवे गार्ड से उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम कुवंरसिंह पुत्र श्री डूगरसिंह जाति गुर्जर उम्र-48 साल निवासी कनावर पुलिस थाना बयाना मो.नं.-8079095433 हाल संविदा सुरक्षाकर्मी परिवहन विभाग भरतपुर होना बताया। जिसकी जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री सुनील कुमार पशुधन सहायक से लिवाई गई तो जामा तलाशी में 200 रूपये नगद मिले एवं गाडी की ड्राईवर सीट के पास नीचे खडे हुए व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम राकेश कुमार पुत्र श्री कल्याणसिंह जाति जाट उम्र-48 साल निवासी शास्ि्त्री नगर भरतपुर पुलिस थाना उधोगनगर मो. नं.-8955985671 हाल चाय की दुकान पर कार्य करने वाला बताया जिसकी जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री सुनील कुमार पशुधन सहायक से लिवाई गई तो जामा तलाशी में 1100 रूपये नगद मिले और राकेश कुमार से ड्राईवर सीट के पास खडे होने के संबंध में पूछा तो उसने बताया कि मै चाय की दुकान पर चाय बनाता हॅू और आरटीओ स्टाफ को चाय देता रहता हॅू। तत्पश्चात सभी गार्डों सें उनके पास मिले रूपयों के संबंध में पूछा तो अपने खर्चे के होना बताया। तत्पश्चात गाडी की तलाशी किया जाना आवश्यक है। अतः स्वतंत्र गवाहान के समक्ष गाडी की तलाशी ली गई तो आगे की ड्राईवर सीट के पास गीयर वाले स्थान पर पर बिखरी हुई अवस्था मे 500,200,100 एवं 50 रूपये नोट हैं जिनकों स्वतंत्र गवाहान श्री सुनील कुमार से इकठ्ठा करवाकर गिनवाया गया तो 500-500 रूपये के 51 नोट कुल 25500/-रूपये एवं 200-200 रूपये के 23 नोट कुल 4600/-रूपये व 100 रूपये के 26 नोट कुल 2600 रूपये व 50-50 के 78 नोट कुल 3900 रूपये, 20-20 रूपये के 11 नोट कुल 220 रूपये ,10 रूपये के 9 नोट कुल 90 रूपये समस्त नोटों की कुल राशि 36910/-रूपये होना पायी गई तथा गाडी के बीच की सीट के नीचे गड्डीनुमा अवस्था में 500-500 रूपये के 20 नोट कुल 10000/-रूपये एवं 200-200 रूपये के 8 नोट कुल 1600/-रूपये व 100 रूपये के 6 नोट कुल 600 रूपये एवं समस्त नोटों की कुल राशि 12200/-रूपये होना पायी गई एवं पीछे की सीट पर सीट के नीचे पैर रखने के स्थान पर बिखरी हुई अवस्था में 500,200,100एवं 50 रूपये के नोट पडें हुए मिले जिनको स्वतंत्र गवाहान की सहायता से उठवाया जाकर गिनवाया गया तो 500-500 रूपये के 101 नोट कुल 50500/-रूपये एवं 200-200 रूपये के 2 नोट कुल 400/-रूपये व 100 रूपये के 8 नोट कुल 800 रूपये व 50-50 के 2 नोट कुल 100 रूपये होना पाये गये एवं समस्त नोटों की कुल राशि 51800/-रूपये होना पायी गई। दौराने कार्यवाही किसी गार्ड द्वारा परिवहन विभाग की सरकारी गाडी के पास फैके हुए रूपये जिनको स्वतंत्र गवाह से उठवाया जाकर गिनवाया गया तो 2800 रूपये होना पाये गये एवं श्री मनोज कुमार इंस्पेक्टर की सरकारी गाडी में एक सफारी कम्पनी की अटैची मिली जिसमें चालान के रूपये होना बताये। इस प्रकार उक्त गाडी में संदिग्ध कुल 100910/-रूपये होना पाये गये। उक्त कार्यवाही की वीडियोग्राफी श्री विनोद कुमार कानि. से उसके मोबाईल से करवायी गई । उक्त मिली समस्त राशि को स्वतंत्र गवाह श्री नरेश कुमार पशुधन सहायक को सुरक्षा की दृष्टि से सभलवायी गई। चुंकि कार्यवाही स्थल राष्ट्रीय राजमार्ग है एवं मौके पर काफी भीड हो चुकी है ऐसी सूरत में उक्त कार्यवाही में व्यवधान की आशंका को देखते हुए सुरक्षित स्थान पर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान स्वतंत्र गवाहान जाप्ता मय संदिग्ध राशि श्री मनोज कुमार सिंघल परिवहन निरीक्षक ,पॉच गार्ड एवं एक प्राईवेट व्यक्ति श्री राकेश एवं परिवहन विभाग की सरकारी गाडी को हमरा लेकर रवाना होकर एसीबी कार्यालय भरतपुर पहॅुचा जहॉ स्वतंत्र गवाहान के समक्ष अग्रिम कार्यवाही गाडी में मिली अटैची को खुलवाकर स्वतंत्र गवाहान से राशि को गिनवाया गया तो 1,56,200/- रूपये होने पाये गये उक्त समस्त राशि के संबंध में श्री मनोज कुमार सिंघल परिवहन निरीक्षक से पूछा तो उन्होने बताया कि मेरी आज दिनांक 19.05.2024 को सुबह 04.00 से सुबह 10.00 बजे तक राष्ट्रीय

राजमार्ग एनएच-21 पर चैकिंग हेतु ड्यूटी लगी थी।मैंने दिनांक 13.05.2024 तक की प्रशमन राि‍श दिनांक 13.05.2024 को जरिये जीआर एन -89293535 राजकोष में जमा करा दी गयी थी जिस रसीद का मोबाईल से प्रिन्ट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर कराये गये। दिनांक 14.05.2024 से आज दिनांक 19.05.2024 समय 08.43 ए एम तक मेरे द्वारा कुल 1,87,200/-रूपये प्रशमन राशि वसूल की गई थी। इसमें से जो गड्डियाँ पूरी थी वह अटैची में 1,56,200 रूपये रखी गई थी। शेष राशि 31000 रूपये मेरे दाहिने ओर गीयर (हैन्डब्रेक) के पास रखी थी । 10-10 एवं 20-20 रूपये के नोटो के रूप में रखी 310 रूपये की राशि मेरे द्वारा घर से लायी गयी थी एवं एक वाहन संख्या-आर जे 04 जी सी 1538 का 5600 रूपये का ओवर हाईट एवं बिना टेक्स का चालान किया गया था जो कि ड्राफ्ट में सेव था क्योकि चालक द्वारा कहा गया कि मै थोडी देर में टैक्स ऑनलाईन कटा रहा हॅ‍ू। जिसकी राशि मेरे को दे रखी थी जो वहॉ रखी थी एवं वाहन की फाईल भी वही थी इस तरह मेरी अटेची एवं मेरे पास रखी राशि 1,93,110/-रूपये का स्पष्टीकरण इस प्रकार है अन्य शेष बरामद राशि मेरी जानकारी में नहीं है और नही मेरा कोई संबंध है।तत्पश्चात उपस्थित गार्डों व प्राईवेट व्यक्ति से उक्त शेष बची राशि 66,800/- रूपये के संबंध में पूछा तो उक्त राशि अपनी नहीं होना बताया । तत्पश्चात श्री मनोज कुमार परिवहन निरीक्षक से 5600 रूपये के संबंध में पूछा जाने पर अपनी पोस मशीन के ड्राफ्ट में सेव गाडी संख्या आरजे 04 जीसी 1538 का समय 07.37 ए एम पर ड्राफ्ट चालान दिखाया जिस पर मोबाईल से फोटो लिया जाकर प्रिन्ट आउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर कराये गये एवं पोस मशीन से आज किये चालानों की रिपोर्ट प्रिन्ट की गई जिसमें आज की कुल राशि 41000/- रूपये थी जिसकी फोटो प्रति की जाकर संबंधित के हस्ताक्षर कराये गये। अपनी आईडी लेपटॉप में लॉगिन कर चालानों की एक्सल रिपोर्ट डाउनलॉड कर संबंधित के हस्ताक्षर कराये गये। जिसमें दिनांक 14.05.2024 से 18.05.2024 तक कुल नगद प्रशमन राशि 1,46,200/- रूपये दिखाई गयी तत्पश्चात चालान कम्पाउन्ड बुक एवं अन्य प्रकार की कम्पाउन्ड बुक के संबंध में पूछा गया तो श्री मनोज कुमार परिवहन निरीक्षक ने ऐसी किसी भी ऑ‍ॅफ लाईन कम्पाउन्ड बुक एवं आफ लाईन चालान बन्द होना बताया और बताया कि हमारे कार्यालय में ऐसा कोई रजिस्टर नहीं है जिसमें उडनदस्ता कितनी राशि लेकर निकला है उसका इन्द्राज किया गया हो । मेरी जानकारी के अनुसार विभागीय नियमों में निरीक्षक एवं चालक 1000-1000 रूपये एवं संविदा सुरक्षाकर्मी 500 रूपये बक्त ड्यूटी अपने निजी खर्च के लिए रख सकता है। मौके पर श्री रीतराम सिंह सहायक उप निरीक्षक एवं श्री विनोद सिंह कानि. द्वारा की गई विडियोग्राफी की डीवीडी पृथक से तैयार की जाकर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी । उक्त समस्त राशि में से 146,20041000 1,87,200/- रूपये का स्पष्टीकरण संतोषजनक पाये जाने पर राशि1,87,200/- रूपये, पोस मशीन एवं सरकारी वाहन को परिवहन विभाग भरतपुर से अधिकारी /कर्मचारी के उपस्थित होने पर सुपुर्द की जावेंगी। संदिग्ध अवैध राशि 75,550/-रूपये को बतौर वजह सबूत जप्त किया गया एवं आरोपीगणों को बाद कार्यवाही रूकसत किया गया।सू‍्त्र सूचना पर आकिस्मक चैकिंग की गई सूत्र सूचना का सत्यापन हुआ है। मौके पर चैकिंगके दौरान 1. श्री मनोज कुमार सिंघल परिवहन निरीक्षक कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी भरतपुर 2.ओमप्रकाश पुत्र श्री मूलीराम जाति जाट उम्र-57 साल निवासी नगला कारौली पुलिस थाना कुम्हेर हाल संविदा सुरक्षाकर्मी परिवहन विभाग भरतपुर 3.दाऊदयाल पुत्र श्री करणसिंह जाति जाट उम्र-63 साल निवासी कासौट पुलिस थाना डीग सदर हाल संविदा सुरक्षाकर्मी परिवहन विभाग भरतपुर 4.यदुवीर सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जाट उम्र-38 साल नगला केसरिया पुलिस थाना चिकसाना हाल संविदा सुरक्षाकर्मी परिवहन विभाग भरतपुर 5.कुमरपाल पुत्र श्री रमेश चन्द जाति जाट उम्र-44 साल निवासी उवार पुलिस थाना कुम्हेर जिला डीग हाल संविदा सुरक्षाकर्मी परिवहन विभाग भरतपुर 6. कुवंरसिंह पुत्र श्री डूगरसिंह जाति गुर्जर उम्र-48 साल निवासी कनावर पुलिस थाना बयाना हाल संविदा सुरक्षाकर्मी परिवहन विभाग भरतपुर 7.राकेश कुमार पुत्र श्री कल्याणसिंह जाति जाट उम्र-48 साल निवासी शास्‍्त्री नगर भरतपुर पुलिस थाना उधोगनगर हाल चाय की दुकान कार्य करना टोल प्लाजा लुधावई भरतपुर द्वारा आने जाने वाले वाहनों से स्वंय के लाभ के लिए अवैध वसूली करते पाये गये एवं दिनांक 19.05.2024 को सुबह 4.00से लेकर सुबह 10.00 बजे तक की पारी में अपने कर्तव्य निर्वहन की चैकिंग ड्यूटी के दौरान खुद को अवैध रूप से समृद्ध करने के आशय से अवैध रूप से बसूली गई संदिग्ध राशि 75,550 /-रूपये का एक दिवसीय अवैध आय मानते हुए अंतर्गत धारा 13(1)(बी),13(2)भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथा संशोधित वर्ष 2018व धारा 120 बी भा.द.स. मे बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कायमी जुर्म श्रीमान की सेवामें सादर प्रेषित है। भवदीय (अमित सिंह) अति. पुलिस अधीक्षक, एसीबी भरतपुर। .... कार्यवाही पुलिस......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट अमित सिह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर, ने प्रेषित की मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत 13(1)(बी),13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भा0द0स0 में आरोपी 1. श्री मनोज कुमार सिंघल परिवहन निरीक्षक कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी भरतपुर 2.ओमप्रकाश पुत्र श्री मूलीराम जाति जाट उम्र-57 साल निवासी नगला कारौली पुलिस थाना कुम्हेर हाल संविदा सुरक्षाकर्मी परिवहन विभाग भरतपुर 3.दाऊदयाल पुत्र श्री करणसिंह जाति जाट उम्र-63 साल निवासी कासौट पुलिस थाना डीग सदर हाल संविदा सुरक्षाकर्मी परिवहन विभाग भरतपुर 4.यदुवीर सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जाट उम्र-38 साल नगला केसरिया पुलिस थाना चिकसाना हाल संविदा सुरक्षाकर्मी परिवहन विभाग भरतपुर 5.कुमरपाल पुत्र श्री रमेश चन्द जाति जाट उम्र-44 साल निवासी उवार पुलिस थाना

कुम्हेर जिला डीग हाल संविदा सुरक्षाकर्मी परिवहन विभाग भरतपुर 6.कुवंरसिंह पुत्र श्री डूगरसिंह जाति गुर्जर उम्र-48 साल निवासी कनावर पुलिस थाना बयाना हाल संविदा सुरक्षाकर्मी परिवहन विभाग भरतपुर 7.राकेश कुमार पुत्र श्री कल्याणसिंह जाति जाट उम्र-48 साल निवासी शास्ःत्री नगर भरतपुर पुलिस थाना उधोगनगर हाल चाय की दुकान कार्य करना टोल प्लाजा लुधावई भरतपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट उपरोक्त धारा में पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिह, पुलिस उप -अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों धोलपुर को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 467 पर अंकित है। (रणधीर सिंह) उप महानिरीक्षक पुलिस-मुख्यालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर क्रमांक 519-23 दिनांक 29.05.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर। 2 परिवहन आयुक्त,मुख्यालय जयपुर 3 प्रादेशिक परिवहन अधिकारी भरतपुर उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर 4 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर, उप महानिरीक्षक पुलिस-मुख्यालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** SURENDRA SINGH **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Randhir Singh
Location: Rajasthan,IN
Date: 29/05/2024 16:20:24

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Randheer Singh

Rank (पद): Dy. IG (Deputy Inspector General)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	18/07/1986				
2	Male	1967				
3	Male	1961				
4	Male	1986				
5	Male	1980				
6	Male	1976				
7	Male	1976				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)